रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2008/कार्तिक 29, 1930
No. 611] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2008/KARTIKA 29, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 804(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में, उप निरीक्षक (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के अधीन, स्तंभ 7 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"20 से 25 वर्ष के बीच :

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

2. विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक और इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 वर्ष तक आयु शिथिल की जा सकती है ।"।

[फा. सं. आई-12014/2/2008-संग.]

श्याम जिंदल, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 741(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 447(अ), तारीख 30 मई, 2003, सं. सा.का.नि. 620(अ), तारीख 1 अगस्त, 2003, सं. सा.का.नि. 137(अ), तारीख 6 मार्च, 2006 और सं. सा.का.नि. 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2008

G.S.R. 804(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2000 against serial number 2, relating to the post of Sub-Inspector (General Duty), in column 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Between 20 to 25 years :

1. Relaxable upto 5 years in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates and 3 years for Other Backward Classes and other special categories of personnel in accordance with the orders issued by Central Government from time to time.
2. Relaxable upto 5 years for Departmental candidates and in addition 5 years age relaxation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and 3 years for Other Backward Classes.".

[F. No. I-12014/2/2008-Org.]

SHYAM JINDAL, Director (Pers.)

Note :—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 741(E), dated the 22nd September, 2000 and subquently amended *vide* No. G.S.R. 447(E), dated the 30th May, 2003, No. G.S.R. 620(E), dated the 1st August, 2003, No. G.S.R. 137(E), dated the 6th March, 2006 and No. G.S.R. 801(E), dated the 31st December, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.